eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

घरेलू हिंसा और मानवाधिकार

[1]डा0 आरती गुप्ता
[1]प्रवक्ता अर्थशास्त्र, श्री राधे कृष्ण मुन्नी देवी महाविद्यालय तिवारीपुर, सरसौल, कानपुरनगर (उ0प्र0)

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

Abstract

घरेलू हिंसा एक वैश्विक समस्या है।जो एक व्यक्ति के रूप में महिलाओं के मूल्य को कमजोर करता है। और उन्हें एक इंसान की गरिमा से वंचित करता है। इसलिए यह एक गम्भीर मानवाधिकार उल्लघंन है। घरेलू हिंसा बार–बार होने वाले अपमान जनक व्यवहार की एक श्रृंखला है जो सार्वजनिक व निजी दोनो क्षेत्रों की भागीदारी को प्रभावित करती है। यह महिलाओं के मानसिक मनोवैज्ञानिक, शारिरिक एवं यौन स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। घरेलू हिंसा को गम्भीरता से लेते हुये दुनिया भर के देश अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति की परवाह किये बिना इस खतरे को रोकने के लिये विधायी समाधान तैयार कर रहे है। हालॉकि घरेलू हिंसा एवं मानवाधिकार स्वतन्त्र विषय है, फिर भी वह आपस में घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, और एक दूसरे को बहुत ही गम्भीर रूप से प्रभावित करते है। पहले घरेलू हिंसा के अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। इसे घर में पति–पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के रूप में देखा जाता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और राज्य एजेंसियों जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सामने आने से घरेलू हिंसा की धारणा को एक व्यापक रूप से गम्भीर लिंग और मानवाधिकार मुद्दा माना जा रहा है। यह पेपर मुख्य रूप से घरेलू हिंसा के विविध पहलुओं एवं सयुक्त राष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराये गये मानवाधिकार उपकरणों और घरेलू हिंसा का सामना करने वाले चुनिंदा देशों द्वारा विकसित विधायी उपायों पर केंन्द्रित है। यह पेपर इस मुद्दें पर भारत में नागरिक समाज समूहों द्वारा निभायें गये योगदान एवं भूमिका पर संक्षेप में चर्चा करता है।

कीवर्डः– घरेलू हिंसा, मानवाधिकार, महिलायें, विधान, मानव अधिकार साधन, नागरिक समाज समूह।

Introduction

किसी भी प्रकार की हिंसा अमानवीय होती हैं चूंकि घरेलू हिंसा एक व्यक्ति के रूप में महिलाओं के मूल्य को कमजोर करता है, इसलिए यह एक गम्भीर मानवाधिकार उल्लघंन है। घरेलू हिंसा महिलाओं की प्रतिष्ठा, पहचान, स्वतन्त्रता, समानता, क्षमता, मर्यादा और सम्मान को प्रभावित करती है। शारीरिक दुर्व्यवहार, जीवन या स्वास्थ्य को खतरा, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार करना, उपहास, गाली देना,आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं। एसवीएन (सुपरवाइज्ड विजिटेशन नेटवर्क) एक अमेरिकी गैर सरकारी संगठन जो बच्चों के लिये हिंसा मुक्त माहौल प्रदान करने में विशेषता रखता है, घरेलू हिंसा को "किसी भी प्रकार के शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है जो किसी परिवार द्वारा घर के किसी भी व्यक्ति पर किया जाता है।" घरेलू हिंसा धीरे–धीरे एक वैश्विक समस्या बनकर सामने आयी हैं।देश की अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

राजनीतिक स्थिति के बावजूद यह समस्या प्रत्येक देश में मौजूद है। घरेलू हिंसा का मुकाबला करने के लिये विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न कानून व अधिनियम तैयार किये जा रहे है। कई बार सर्वेक्षणों में यह पाया गया है कि महिलायें जो इस पीडा से गुजर रही होती है वह मुख्य रूप से डर, कानून की अज्ञानता और इन एजेंसियों में विश्वास की कमी के कारण पुलिस या महिला आयोग जैसी राज्य एजेंसियों को ध्यान में नही लाती है। इस लिये घरेलू हिंसा के अधिकतर मामले दर्ज नही हो पाते है।

मानव अधिकार प्रत्येक जीवित व्यक्ति को प्राप्त बुनियादी अधिकार है। मानव अधिकार प्राकृतिक है क्योकिं यह व्यक्ति को उसके जन्म के तुरंत बाद प्राप्त होता है। यह सार्वभौमिक है, क्योंकि यह दुनिया भर में लिंग या राष्ट्रीयता की परवाह किये बिना सभी मनुष्यों के लिये उपलब्ध है। यह मौलिक है क्योंकि यह व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करता है और व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में मदद करता है।

घरेलू हिंसा के रूप :–घरेलू हिंसा निम्नलिखित चार तरीकों से प्रकट होती है : मनोवैज्ञानिक–भावात्मक हिंसा, शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, आर्थिक हिंसा।

मनोवैज्ञानिक–भावात्मक हिंसा : इस प्रकार की हिंसा से महिलाओं के मन एवं मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है। इससे होने वाले नुकसान की सीमा को पहचानना मुश्किल है। The Service De Police De La Ville De Montreal (SPVM) explains that psychological violence has three aspects to it: intimidation, harassment and*threat*[1]. मनोवैज्ञानिक हिंसा से अवसाद, आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास जैसी सामाजिक और भावात्मक समस्यायें पैदा होती है।

शारीरिकहिंसा : शारीरिक हिंसा घरेलू हिंसा का सबसे स्पष्ट रूप है। जिसमें पीडित को गम्भीर नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपराधी द्वारा जान बूझकर शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक हिंसा में धक्का देना, फेंकना, बाल खींचना, थप्पड मारना, मारना, मुक्का मारना और हथियार का प्रयोग करना जैसी क्रियायें शामिल है। इसमें अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित करना शामिल है।

यौन हिंसा : यौन हिंसा घरेलू हिंसा का अदृश्य रूप है और इसकी तुलना यौन उत्पीडन से की जा सकती है। Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) defines sexual harassment as " Unwelcomesexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature ...[2]. (EEOC) उन कृत्यों की एक सूचीं भी प्रदान करता है जिसे यौन हिंसा या उत्पीडन कहा जा सकता है। जैसे–वास्तविक या प्रयासित बलात्कार, यौन हमला, अवांछित जानबूझ कर छूना, झूकना, चुटकी काटना, अवांछित यौनदृष्टि या इशारे, अवांछित यौन छेडछाड, चुटकुले, टिप्पणी या प्रश्न, सामाजिक या यौन जीवन के बारें में व्यक्तिगत प्रश्न और यौन सम्बन्ध बनाना, हाथों से या शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से इशारे करना शामिल है।

आर्थिक हिंसा : आर्थिक हिंसा से तात्पर्य महिलाओं को उपलब्ध आर्थिक अवसर और सुविधाओं से वंचित करना है। आर्थिक हिंसा का महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। आर्थिक हिंसा में

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

वित्तीय निर्णय लेने से बहिष्कार, असमान वेतन पैर्टन, महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध और सम्पत्ति के अधिकारों से इन्कार शामिल है।

घरेलू हिंसा आम तौर पर पीडित के करीबी रिश्तेदारों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा के शिकायत के मामलें में पति ससुर सास और पति के भाई–बहनों को प्रतिवादी मानता है और उन से सीधे सवाल करता है। लिंग परीक्षण या कन्या भ्रूणहत्या के मामले में कन्याशिशु के माता–पिता को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

Domestic violence impacts a women's self confidence; an important component of her personality. A women under goes physical injury, unwanted pregnancies, miscarriage, disability, depression, fear, self injurious behaviors and sexually transmitted diseases[3]. Due to it, women's role in both public and private spheres get shampered and effects here ffective contribution towards the state and society[4].

मानवाधिकार उपकरण : संयुक्त राष्ट्र ने अपने विभिन्न प्लेटफार्मो के माध्यम से घरेलू हिंसा को एक गंभीर मानवाधिकार चिंता घोषित किया है। संगठन ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण है बीजिंग सम्मेलन और इसकी कार्यवाही का मंच, महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विशेष प्रतिवेदक की नियुक्ति (UDHR), महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) मे महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन पर घोषणा।

बीजिंग सम्मेलन और कार्यवाही का मंच (1995) : इस सम्मेलन में कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक सार्वभौमिक मुद्दा है और दुनिया भर के लगभग 17–38 प्रतिशत महिलाओं को अपने जीवन काल के दौरान कम से कम एक बार शारीरिक हमलों का सामना करना पडता है। इसलिये कार्यवाही के मंच में यह घोषणा की गयी कि "महिलाओं के खिलाफ हिंसा बुनियादी मानवाधिकार का उल्लघंन है और इसके लिये एक बाधा है समानता, विकास एवं शान्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति"।

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (1979) : लोकप्रिय रूप से (CEDAW) के रूप में जाना जाता है। यह घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को उजागर करने के लिये एक ऐतिहासिक घटना रही है। (CEDAW) आर्थिक अस्तित्व, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से सम्बन्धित मुद्दों पर प्रकाश डालने के साथ–साथ "लिंग आधारित दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा के अधिकार" का आह्वान करता है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विशेष प्रतिवेदक (1994) : According to an International NGO, 'The Advocates for Human Rights', "the Special Rapporteur on violence against women, collects and analyzes data on violence against women in order to recommend measures to be taken at the international, regional and national level. The rapporteur works on socio-economic policies and reproductive rights of women along with three important as pectsrelated to violence"[5].परिवार के भीतर की हिंसा (घरेलू हिंसा और वैवाहिक बलात्कार),

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

समुदाय में हिंसा (कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन और यौन उत्पीडन) और राज्य द्वारा की जाने वाली या क्षमा की जाने वाली हिंसा (हिरासत में हिंसा, शरणार्थी महिलाओं के खिलाफ हिंसा)।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा (1993) : यह (CEDAW), (UDHR), वियना घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम के साथ मिल कर काम करता है। इसी घोषणा के अनुसार 25 नवम्बर को "महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिये अर्न्तराष्ट्रीय दिवस" के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारें में विभिन्न राज्यों के लोगों में जागरूकता पैदा करना है। जो एक निजी–घरेलू मामले से कहीं अधिक है। इसलिये इस घोषणा में सक्रिय राज्य हस्तक्षेप का आह्वान किया गया है और दुनियाभर में महिलाओं के अधिकारों को बढावा देने और सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को दोहराया गया है।

दुनिया भर में महत्वपूर्ण विधायी समाधान :उपरोक्त घोषणाओं को ध्यान में रखते हुये विश्व के सभी देश घरेलू हिंसा से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करने और पीडितों का न्याय दिलाने के लिये कानून बना रहे है।

भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (D V A-2005) में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दंडनीय अपराध बना दिया है। इस प्रकार की हिंसा में महिलाओं और बच्चों दोनो के खिलाफ हिंसा शामिल है। भारत में इस अधिनियम के अस्तित्व में आने से पूर्व घरेलू हिंसा से पीडितों के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प पति–पत्नी के मध्य तलाक था या आई0पी0सी0 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 498 ए का सहारा लेना था। इन विकल्पों के माध्यम से पीडितों को न्याय मिलने में बहुत अधिक समय लगता था या तो न्याय मिल ही नही पाता था। इसलिये भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 तैयार किया गया। यह अधिनियम विवाहित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ उन महिलाओं की भी चिंता का समाधान करता, है, जो लिव–इन रिलेशनशिप में है। इस अधिनियम के अनुसार उत्पीडन या हिंसा के एक भी कृत्य की रिपोर्ट की जा सकती है। इस प्रकार यह अधिनियम घरेलू हिंसा से पीडितों को एक व्यापक अवसर प्रदान करता है। यह एक उदार और सूक्ष्मदर्शी अधिनियम है, और महिलाओं को साझा जीवन जीने का अधिकार देता है। यह अधिनियम शिकायतकर्ता महिला की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भलाई की रक्षा करने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से महिलाओं को कानूनी निवारण सुनिश्चित किया जाता है, और जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता के साथ–साथ आश्रय की भी सुविधा प्रदान की जाती है।

In United states of America, Violence Against Women Act (VAWA) a federal legislation came into operation in 1994[6].यह अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिल कर काम करता है और विशेषकर घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून है। यह राज्य और स्थानीय दोनो स्तरों पर 'समन्वित सामुदायिक प्रतिक्रिया' समन्वय और जोर देने का प्रयास करता है। घरेलू हिंसा के प्रति अमेरिका में काम करने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंसी 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कार्यालय' (OVW)है। जिसे सन् 1995 में स्थापित किया गया था। कार्यालय का लक्ष्य "देश भर में उन समुदायों का वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इस एजेंसी ने अपने

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

उद्देश्य के तहत पुलिस, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, अभियोंजकों, पीडित अधिवक्ताओं और अन्य जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ साझेदारी शुरू की है। कार्यालय का दावा है कि उसने अपने राहत कार्य के हिस्से से रूप में +4 बिलियन का अनुदान दिया है। और महिला हिंसा अधिनियम (VAWA) के साथ मिलकर काम करता है।

In Pakistan, the bill out lawing domestic violence came into being in August 2009[7]. पाकिस्तान में इस विधेयक को संसद के साथ राष्ट्रपति दोनो से तुरंत मंजूरी मिल गयी। दोषियों को 6 महीने की जेल और 1 लाख रू0 का जुर्माना लगाया गया है। इस अधिनियम में उन महिलाओं और बच्चों को भी शामिल किया गया है जिन्हें गोद लिया गया है। पाकिस्तान में इस प्रकार के विधेयक की विशेष आवश्यकता थी क्योंकि वहॉ महिलायें भेदभाव से पीडित है, और ऑनर किलिंग जैसी भयावहता का सामना करती है।

In Ghana, the Parliament passed the Domestic violence bill (DVB) in 2007[8]. इस तरह के कानून की मांग 1997 से 'लिंग और मानवाधिकार दस्तावेजीकरण केन्द्र' के नेतृत्व में विभिन्न गैंर सरकारी संगठनों द्वारा उठायी जा रही थी। इस सम्बन्ध में पहला महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1998 में WAJU (Women and juvenile unit) की स्थापना के साथ हासिल किया गया। इस बिल को तीन हिस्सों में बॉटा गया है। घरेलू हिंसा की प्रकृति और अर्थ को समझने के अलावा यह पीडितों को पुलिस सहायता भी प्रदान करता है। आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर" रहे पीडितों की मदद के लिये 'घरेलू हिंसा पीडित सहायता कोष' नाम से एक कोष स्थापित किया गया है। यह कोष पीडितों को सामग्री सहायता, बचाव, पुर्नवास और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

भारत में नागरिक समाज समूह :– राज्य तन्त्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिये यह महत्वपूर्ण है कि इसे नागरिक समाज समूहों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थन प्राप्त हों। सिविल सोसाइटी समूह जमीनी स्तर पर काम करते है और मुद्दे से सम्बन्धित चुनौतियों के बारें में अधिक जागरूक है।सेंटर फॉर सोसल रिसर्च और वूमन पावर कनेक्ट ने घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में उपलब्ध निवारणतंत्र के बारें में पूरे भारत में जागरूकता अभियान शुरू किया है। दिल्ली स्थित एक्सन इंडिया घरेलू हिंसा अधिनियम पर जागरूकता पैदा करने के लिये नियमित रूप से हस्ताक्षर, अभियान, सम्मेंलन, बैंठकें और रैलिंया आयोजित करता है। 'बेलबजाओं'!! एक लोकप्रिय नागरिक समाज समूह है। जो युवाओं तक इस मुद्दें को पहुंचाने में सफल रहा है। अपनी गतिविधियों को पहुंचानें के लिये यह फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग माध्यमों का बडें पैमाने पर प्रयोग करता है। और विशिष्ट ऑडिया–विजुअल स्क्रीनिंग के साथ विडियों वैन चलाने जैसी गतिविधिया भी संचालित करता है। 'बेलबजाओं'!! अपना सन्देंश पहुंचाने के लिये नुक्कड नाटक प्रदर्शन, कठपुतली शो, जनमत सर्वेक्षण और इंटरैक्टिव गेम का भी आयोजन करता है। ऑक्सफैम इण्डिया, आंध्र प्रदेश में अपनी पहल "स्वेच्छा" के माध्यम से जागरूकता बढाने में सफल रही है। Mumbai based NGO,*Centre for Enquiry into Health and Allied Themes* (CEHAT) and*Point of View*ने फरवरी 2011 में एक लघु फिल्म जारी की। एक पीडिता के जीवन का पता लगाया गया जो बार–बार दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद अस्पताल पहुंचतीहै। धारावी की महिलाओं के लिये फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग की गयी जिनमें से कई ने

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

फिल्म से निकटता से जुडी और घरेलू हिंसा और उससे बचे रहने के अपने डरावने अनुभवों को याद किया।

निष्कर्षः इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुचतें है कि घरेलू हिंसा एक गम्भीर मानवाधिकार मुद्दा है और इसे समाज से तभी समाप्त किया जा सकता है। जब इसके प्रति जिम्मेंदारी सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक रूप से साझा की जायें। राज्यों द्वारा घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये और किसी प्रकार के उल्लघंन पर कडी सजा दी जानी चाहिये। ऐसा करने से पीडितों को तत्काल एवं प्रभावी उपाय का आश्वासन मिलेगा। वर्तमान समय में घरेलू हिंसा के प्रति लोगों में धीरे–धीरे जागरूकता बढ रही है। शिक्षा, परामर्श, कानूनी सहायता, पुर्नवास एवं स्व–नियामक दिशानिर्देशों के क्षेत्र में संशोधन से बडे पैमाने पर मदद मिलेगी। समस्या का कुशल तरीके से समाधान करने से समाज में महिलाओं अपने खोए हुये आत्मसम्मान को पुनः वापस पाने में मदद मिलेगी। महिलाओं को शांतिपूर्ण, सफल और सशस्त जीवन का आश्वासन दिया जा सकता है।

सन्दर्भ :–

1. Psychological Violence, http://www.spvm.qc.ca/en/service /1_3_1_1_violpsycho.asp#intimidation**(2013)**
2. Facts about Sexual Harassment, The US Equal Employment Opportunity Commission **(2002)**
3. KenneyLatchana Karen,DomesticViolence, ABDO Publishing Company**(2012)**
4. Waghamode R.H, Desai Bhavana, Kalyan J.L, DomesticViolenceagainstWomen:AnAnalysis,International*ResearchJournalofSocialSciences*,**2 (1),**34-37,**(2013)**
5. UN Special Rapporteur on Violence against Women, ItsCauses and Consequences, http://www.theadvocatesforhumanrights.org**(2010)**
6. United States Department of Justice,http://www.ovw.usdoj.gov/overview.htm**(2012)** -
7. Pakistanpassesbillagainstdomesticviolence,KhurramShahzad,oneworld.net**(2009)**
8. The Passage of Domestic Violence Legislation in Ghana,Takyiwaa Manuh Institute of African Studies, University ofGhana,www.pathwaysofempowerment.org /GhanaDV.pdf**(2013)**
9. **मानव अधिकार – डॉ एच0ओ0 अग्रवाल**
10. **मानव हिंसा – डॉ नीरज कुमार राय**